यह निरीक्षण आख्या कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ, पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ, पौड़ी गढ़वाल के अवधि माह 2014–15 (अप्रैल 2014) से 2015–2016 (मार्च 2016) तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री सन्तोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 21.04.2016 से 02.05.2016 तक श्री ........................ वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

## भाग–प्रथम

**(अ) परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजा रजंन राव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विनीत राही, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.01.2015 से 28.01.2015 तक श्री रमेश मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गई थी, जिसमें माह अप्रैल 2008 से मार्च 2014 तक के लेखा–अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह अप्रैल 2014 से मार्च 2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जांच की गयी।

**1. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखाः–**

1. के.एस. रावत, जि.शि.अधि. 19.08.14 से कार्यरत

**3. अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :** शून्य

**4. सतत् अनियमिततायें** – शून्य

**5. अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित)** – शून्य

## 6. बजट

**(धनराशि `लाख में)**

| क्र.सं. | विवरण | वित्तीय वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **2013–14** | **2014–15** | **2015–16** |
| 1 | प्रारम्भिक अवशेष | 532.53 | 284.25 | 235.04 |
| 2 | वर्ष में कुल प्राप्तिया | 00 | 00 | 00 |
| | केन्द्राश | 1083.29 | 1005.84 | 942.96 |
| | राज्यांश | 361.10 | 335.28 | 314.32 |
| | अन्य स्रोत/ब्याज | 18.72 | 14.19 | 16.53 |
| 3 | कुल योग (1+2) | **1995.64** | **1639.56** | **1508.86** |
| 4 | वर्ष के दौरान कुल व्यय | 1711.40 | 1404.51 | 1214.63 |
| 5 | अंतिम अवशेष (13–4) | **234.25** | **235.04** | **294.23** |

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर 1 : दैवीय आपदा में प्राप्त धनराशि ` 1.50 लाख कार्यालय में लंबित रहना।**

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ, पौड़ी के लेखा अभिलेखों की नमूना जाचं में पाया गया कि वर्ष 2013–14 में जनपद के तीन विद्यालय 1. पी.एस. गूमखाल (वि. द्वारीखाल), 2. पी.एस. जुबालगांव (द्वारीखाल) एवं 3. पी.एस. भक्तिमाणा (वि.दो. खिर्सू) प्रत्येक को ` 50,000/– की दर से (कुल ` 50,000 x 3 = ` 150,000) आपदा में किचन कम स्टोर को हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति/मरम्म्त हेतु एस.पी.ओ. कार्यालय, देहरादून से एम.डी.एम. प्रकोष्ठ पौड़ी को प्राप्त हुई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त धनराशि ` 1,50,000/– कार्यालय में (लेखापरीक्षा की तिथि (4/16) तक लंबित/अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कार्यालय ने उत्तर में बताया कि उक्त विद्यालय पी.एस. गूमखाल (द्वारीखाल) में अन्य बाह्य मदों से मरम्मत कराये जाने के कारण तथा पी.एस. जुवालगांव (द्वारीखाल) एवं पी.एस. भक्तिमाणा (खिर्सू) को नये किचन के निर्माण हेतु धनराशि प्रेषित किये जाने के कारण आपदा के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को नहीं दिया गया। अतः अवशेष मरम्मत की धनराशि को एस.पी.ओ. (एम.डी.एम. सेल), देहरादून को लौटाया जाना है।

अतः उक्त विद्यालयों में किचन की मरम्मत हो जाने एवं निर्माण के लिए धनराशि प्रेषित किये जाने के बाद भी लेखापरीक्षा की अवधि तक आपदा के अंतर्गत प्राप्त धनराशि ` 1.50 लाख को लौटाया नहीं जाना एवं कार्यालय में लंबित रखने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर 2 : मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.) के बैंक खातों में धनराशि ` 1.20 करोड़ अर्जित ब्याज के रूप में अप्रस्तुत (Unutilized) रहना।**

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ, पौड़ी के बैंक खाते/लेजर आदि लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 03/2016 के अंत तक मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित धनराशि जोकि भारतीय स्टेट बैंक, पौड़ी और पंजाब नैशनल बैंक, पौड़ी में जमा की जाती है पर अर्जित ब्याज की धनराशि ` 1,19,57,107/– जमा हो गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अर्जित ब्याज की धनराशि वर्ष दर वर्ष उक्त समय से इकट्ठा होती जा रही है जब से इस योजना के तहत बैंक खाते संचालित होना प्रारंभ हुआ है एवं भविष्य में भी यह धनराशि बढ़ती ही चली जाएगी। जांच में पाया गया कि अर्जित ब्याज की धनराशि को कार्यालय द्वारा उपभोग में नहीं लाया जाता है एवं ब्याज की धनराशि खाते में अप्रयुक्त पड़ी रहती है।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इकाई से पहले उत्तर में बताया गया कि जनपद के एम.डी.एम. खाते में अर्जित ब्याज की धनराशि को उपभोग करने संबंधी एस.पी.ओ. से कोई दिशा निर्देश नहीं है, एस.पी.डी. महोदय द्वारा दिनांक 07 मई 2015 को पत्र लिखकर भारत सरकार से इस संबंध में दिशा–निर्देश मांगे गये हैं जो अभी तक अप्राप्त है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, यदि इकाई द्वारा इस ओर पहले से ही गंभीर प्रयास किये जाते तो इतने वर्षों से बतौर अर्जित ब्याज की धनराशि ` 1,19,57,107/– (मार्च 2016 तक) इकट्ठा हो गई थी व इतने वर्षों से ब्याज की धनराशि अप्रयुक्त लम्बित पड़ी आ रही है को मध्याह्न भोजन योजना के मदों में ही उपभोग करने हेतु दिशा–निर्देश प्राप्त हो चुके होते हैं जिसके कारण इस योजना पर प्रत्येक वर्ष ब्याज की धनराशि का अतिरिक्त वित्त पोषण का भार वहन न करना पड़ता एवं धनराशि को मध्याह्न भोजन योजना के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट पर आवंटित किया जा सकता था।

चूंकि अर्जित ब्याज के अप्रयुक्त रहने का प्रकरण संपूर्ण राज्य से संबंधत है एवं एस.पी.ओ. कार्यालय से दिशा–निर्देश दिये जाने के लिए संबंधित है, अतः प्रकरण शासन एवं एस.पी.डी. के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर 3 : मूल्य सवंर्धित कर (Value Added Tax) के रूप में ` 9.6 लाख का अतिरिक्त एवं अनियमित भुगतान।**

जिला शिक्षा अधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.) पौड़ी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि संप्रेक्षित वर्षो 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान भारत खाद्य निगम (FCI) को किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत् था–

| वित्तीय वर्ष | खाद्यान्न मात्रा (कुंतल में) | FCI को वैट[1] सहित भुगतान (` लाख में) | वैट (@ 5%) (` लाख में) |
|---|---|---|---|
| 2014–15 (PS) | 7288.7 | 43.24 | 2.06 |
| 2014–15 (UPS) | 8970.8 | 53.23 | 2.53 |
| 2015–16 (PS) | 7605.8 | 50.54 | 2.41 |
| 2015–16 (UPS) | 9795.6 | 54.60 | 2.6 |
| **योग** | **33660.9** | **201.61** | **9.6** |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान संप्रेक्षित इकाई द्वारा भारतीय खाद्य निगम ( FCI) को 33660.9 कुंतल खाद्यान्न की खरीद में कुल ` 201.61 लाख का भुगतान किया गया। इसमें पांच प्रतिशत की दर से वैट–कर का भुगतान भी शामिल है।

[1] वैट कर की दर को 28.05.2012 से 5 प्रतिशत कर दिया गया था, किन्तु Uttarakhand Value Added Tax 2005 के अनुसार Public distribution system के द्वारा बिक्रीत अनाजों की बिक्री को वैट–कर से मुक्त रखा गया है।

इस प्रकार संप्रेक्षित वर्षों में ` 9.6 लाख का भुगतान भारतीय खाद्य निगम (FCI) को अतिरिक्त रूप से किया गया।

इस संदर्भ संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बतलाया की इस संदर्भ में कोई दिशा–निर्देश नहीं हुआ है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि Uttarakhand Value Added Tax 2005 के अनुसार Public distribution system के द्वारा बिक्रीत अनाजों की बिक्री को वैट–कर से मुक्त रखा गया है, और साथ ही लगभग सभी राज्यों में यही व्यवस्था अपनाई गई है।

इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी, मध्याहन भोजन योजना (एम.डी.एम.), पौड़ी द्वारा भारतीय खाद्य निगम (FCI) को ` 9.6 लाख का अतिरिक्त एवं अनियमित भुगतान किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग–तीन**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निरकारण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ, पौड़ी को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
**(सामाजिक क्षेत्र)**